भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2370

जिसका उत्तर 13 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

वार्षिक भू-जल पुनर्भरण में गिरावट

2370. श्री आदित्य यादव:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में देश में कुल वार्षिक भू-जल पुनर्भरण में मामूली गिरावट आई है और गत वर्ष अधिक भू-जल निष्कर्षण के कारण जल की उपलब्धता में भी कमी हुई है और इसके लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों सहित उत्तर-पश्चिम भारत सबसे अधिक दोषी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जल के अधिक दोहन हेतु जल की धान की खेती में अत्यधिक लगने वाले जल हेतु भू-जल निष्कर्षण एक प्रमुख कारण है, इसे देखते हुए सरकार द्वारा क्या निवारक कदम उठाए जाने हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा वर्ष 2023 और 2024 के डॉयनेमिक भूजल संसाधन आकलन के अनुसार, यह पाया गया है कि देश का कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 449 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) से मामूली रूप से घटकर 446.9 बीसीएम हो गया है और इसी अवधि के दौरान सभी उद्देश्यों के लिए कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण 241 बीसीएम से बढ़कर 245.64 बीसीएम हो गया है। हालांकि इस संबंध में वास्तविक स्थिति के लिए, वर्ष 2017 और 2024 के मध्य दीर्घकालिक आंकड़ों की तुलना की जा सकती है, जो यह दर्शाता है कि इस अवधि के दौरान वार्षिक भूजल पुनर्भरण 432 बीसीएम से बढ़कर 446.9 बीसीएम हो गया है और वार्षिक भूजल निष्कर्षण 249 बीसीएम से घटकर 245.64 बीसीएम हो गया है, जिससे समग्र स्थिति में सुधार का पता चलता है।

उत्तर-पश्चिमी राज्यों पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से संबंधित वर्ष 2023 और 2024 के मध्य के आंकड़े सामान्यतः यथावत हैं, जबकि पंजाब में पुनर्भरण और निष्कर्षण

के मामले में आंशिक सुधार हुआ है। तथापि, उक्त राज्यों की समग्र भूजल स्थिति राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है।

जल राज्य का विषय है। भूजल संसाधनों का स्थायी विकास और प्रबंधन मुख्यतः राज्य सरकार का दायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा अपनी विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थित किया जाता है। इस दिशा में, उत्तर-पश्चिमी भाग सहित देश में भूजल संसाधनों के स्थायी विकास के लिए जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं: -

i. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए और एफडब्ल्यू) द्वारा हरित क्रांति वाले मूल राज्यों अर्थात हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जल सघन धान की फसल के क्षेत्र को दलहनों, तिलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज और कपास आदि जैसी वैकल्पिक फसलों की ओर परिवर्तित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के पुनरूद्धार के लिए लाभकारी दृष्टिकोण (आरकेवीवाई-आरएएफटीएएआर) के तहत फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। सीडीपी के तहत वैकल्पिक फसलों के प्रदर्शन, फार्म यंत्रीकरण और मूल्यवर्धन, स्थल विशिष्ट गतिविधियों और जागरूकता एवं क्षमता निर्माण आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
ii. इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के तहत दलहनों, मोटे अनाज, पोषक अनाज और कपास जैसी फसलों के विविधतापूर्ण उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थन प्रदान किया जाता है।
iii. कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए और एफडब्ल्यू), भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से देश में प्रति बूंद अधिक फसल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता में वृद्धि और उपलब्ध जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए बेहतर ऑन-फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है।
iv. केंद्र सरकार द्वारा गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में जल की कमी वाले 80 जिलों में अटल भूजल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण स्तरों पर

स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए क्षेत्र के जल बजट पर आधारित वैज्ञानिक साधनों के माध्यम से मांग पक्ष प्रबंधन करना है जिससे लक्षित क्षेत्रों में स्थायी भूजल प्रबंधन हो सके। जल कुशल सिंचाई प्रथाओं को बढ़ावा देना और किसानों को जल की कम खपत वाली फसलों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना अटल जल योजना के तहत प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं। प्रशिक्षणों और आईईसी गतिविधियों के माध्यम से बाढ़ सिंचाई के स्थान पर सीधी बुवाई वाले चावल (डीएसआर) तकनीक को भी लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

v. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सतही जल और भूजल के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है और भूजल पर निर्भरता को कम करने के लिए, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से पीएमकेएसवाई-एआईबीपी योजना के तहत देश में सतही जल आधारित वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं आरंभ की गई हैं।

vi. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श जारी किया गया है कि वे किसानों के लिए अपनी मुफ्त/रियायती दर वाली विद्युत नीति की समीक्षा करें, उपयुक्त जल मूल्य निर्धारण नीति अपनाएं और भूजल पर अति-निर्भरता को कम करने के लिए फसल चक्रण/विविधीकरण/अन्य पहलों की दिशा में कार्य करें। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों द्वारा भूजल निष्कर्षण को सीमित करने के लिए उक्त परामर्शों पर कार्य करने के संबंध में सूचित किया गया है।

vii. सरकार द्वारा वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह अभियान वर्षा संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों के लिए एक मिशन मोड और समयबद्ध कार्यक्रम है। वर्तमान में, देश में जेएसए 2024 का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें देश के जल की कमी वाले 151 जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जेएसए एक व्यापक अभियान है जिसके तहत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं का अभिसरण करते हुए विभिन्न भूजल पुनर्भरण और संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं।

viii. भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर आरंभ किया गया था जिसका उद्देश्य जल भंडारण में वृद्धि और भूजल पुनर्भरण को बढ़ाने के उद्देश्य से देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना था। इसके परिणामस्वरूप देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवर का निर्माण/पुनरुद्धार किया गया है।

*****